

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक : २५/२५

दिनांक 19.07.2025

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री प्रकाशचंद्र पुत्र, श्री. कवरलाल

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोटडापार पटवार गण्डल कोटडापार तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सन्वत् 2075-78 के खाता संख्या 100 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जमिनी प्रकाश पुत्र कवरलाल अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से प्रकाशचंद्र पुत्र कवरलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी कोटडापार से करवाने पर पटवारी ने प्रकाश के बजाय प्रकाशचंद्र करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में प्रकाश के बजाय प्रकाश करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम कोटडापार के खाता संख्या 100 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जमिनी प्रकाश के स्थान पर सम्मानजनक रूप से प्रकाशचंद्र दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)